1000 वर्गफुट के मकानों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी होगा झारखंड की राजधानी रांची में। नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे निगम बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 5 जुलाई 2019

सांसदों को शाह की सलाह, निर्भीक रूप से रखें पार्टी की विचारधारा

नए सांसदों को दिया प्रभावी बनने का मंत्र, सांसद निधि को लेकर भी किया नए सदस्यों को आगाह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने नए सांसदों से संसद की गरिमा को मजबूत करने के लिए काम करने की सलाह दी है। उन्होंने सांसदों को जहां निर्भीक होकर अपनी पार्टी की विचारधारा को रखने के लिए उत्साहित किया है वहीं सांसद निधि के सही उपयोग को लेकर भी आगाह किया। शाह ने कहा कि सांसद निधि के कारण कई सांसद बदनाम हो चुके हैं, ऐसे में नियम कायदे से बाहर जाकर सांसद निधि का उपयोग न करें।

लोकसभा के लिए चुनकर आए नए सांसदों के लिए लोकसभा सचिवालय की ओर से प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें एक सत्र सांसदों के प्रभावी बनने के लिए गुर सिखाने से संबंधित था। शाह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस सत्र को संबोधित किया। शाह ने परोक्ष रूप से भाजपा के विरोधियों पर तंज भी किया और सांसदों को आगाह भी। उन्होंने कहा कि संसद राजनीतिक आरोपों का मंच नहीं है। लेकिन एक बड़ा कालखंड ऐसा रहा है जब अच्छी बातों को भी स्वीकार करने से पहले यह देखा जाता था कि वह बात कहां से आई है। जाहिर तौर पर उनका इशारा भाजपा की विचारधारा के प्रति दूसरे दलों के व्यवहार की तरफ था। उन्होंने कहा कि संसद के प्रवेश द्वार पर ही धर्म की बात लिखी है लेकिन वह धर्म कर्तव्य और दायित्व है। अगर धर्म के साथ सरकार चलाने की बात होती है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए।

संसद में खुलकर विवेक के साथ अपनी और अपनी पार्टी की विचारधारा के अनुरूप बात रखने की सलाह देते हुए शाह ने कहा कि महाभारत सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि राज दरबार के सदस्यों ने निर्भीक होकर अपनी बात नहीं रखी और राजा की हर बात मानते गए। शाह ने कहा कि यह वक्त है कि सांसद अपना प्रभाव दिखाएं वरना विधायिका पर दूसरे क्षेत्रों का हस्तक्षेप बढ़ना तय है। शाह ने बताया कि संसद में मौजूद तौर तरीकों से हम देश की दिशा तय कर सकते हैं। इसी क्रम में उन्होंने यह भी बताया कि 1991 में केएच मुनियप्पा ने प्रश्न उठाया था कि क्या केरल के कुछ स्कूलों में वंदे मातरम नहीं गया जाता है? तब भाजपा सांसद राम नाइक ने उसी सवाल के माध्यम से आधे घंटे की चर्चा की मांग की और सुझाव दिया कि जन गण मन व वंदे मातरम संसद के अंदर गाया जाएगा तो नीचे तक प्रेरणा मिलेगी। 1991 के बाद से ही संसद में जन गण मन गाया जाता है।

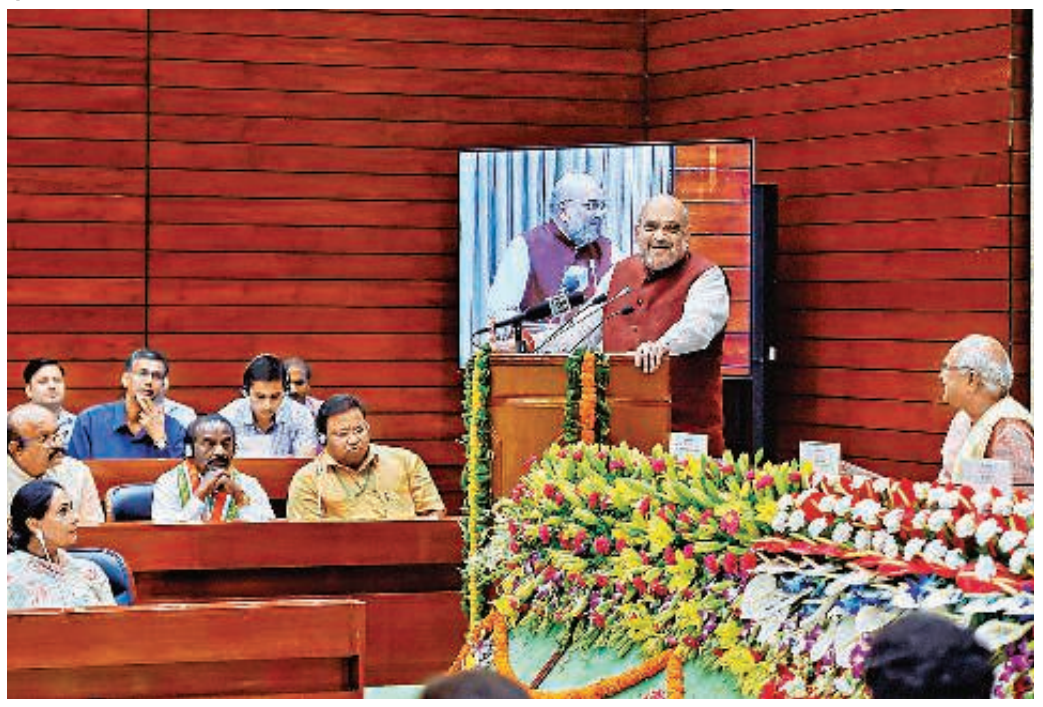

नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यशाला में गृहमंत्री अमित शाह ने 17वीं लोकसभा के लिए चुनकर आए भाजपा के सांसदों को कामकाज को लेकर सलाह दी। प्रेट्र

'शिकायतों का समाधान न करने वालों की होगी छुट्टी'

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

आम जनता की शिकायतों का समाधान समय से हो, इसके लिए गुरुवार से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू हुई। इसके लिए 1076 नंबर पर डायल करना होगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने समस्याओं का निदान न हो पाने पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह अधिकारियों की छुट्टी करने की चेतावनी भी दी।

लोकभवन में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का शुभारंभ करते हुए योगी ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात भी कही। उनका कहना था कि सीएम हेल्पलाइन दो काम अवश्य करेगी। एक तो व्यवस्था को संवेदनशील बनाएगी, दूसरा इसे एसीआर (वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि) से जोड़ा जाएगा। योगी ने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत तब बंद होगी जब शिकायतकर्ता खुद ही न कह दे कि समस्या का समाधान हो गया। अगर शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं तो उच्चाधिकारियों को मामला सौंपा जाएगा और जवाबदेही भी तय होगी।

योगी आदित्यनाथ फाइल फोटो

24 घंटे होगी सुनवाई : मुख्यमंत्री हेल्पलाइन -1076 पर किसी प्रकार की शिकायत 24 घंटे में किसी भी समय दर्ज कराई जा सकती है। इस कालसेंटर में 500 सीटों की व्यवस्था है जिसे एक हजार तक बढ़ाया जा सकता है। विभूति खंड गोमतीनगर में साइबर टावर पर पांचवें व छठें तल पर बनाए गए इस काल सेंटर की प्रतिदिन 80 हजार इन कमिंग व 55 हजार आउट गोइंग काल्स की क्षमता है। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन पर सूचना का अधिकार, राज्य कर्मियों की सेवा संबंधित मामले और न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण व राज्य एवं केंद्र सरकारों के खिलाफ दर्ज परिवाद से जुड़ी शिकायतें दर्ज नहीं की जाएंगी।

उम्र संबंधी छूट लेने वाले आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को सामान्य सीट नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चयन प्रक्रिया में उम्र संबंधी छूट का लाभ लेने वाला आरक्षित श्रेणी का प्रत्याशी बाद के चरण में सामान्य श्रेणी की सीट पर स्थानांतरित करने का दावा नहीं कर सकता है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कहा कि संविधान का अनुच्छेद 16(4) सरकार को ऐसे किसी भी पिछड़े वर्ग को नियुक्तियों में आरक्षण देने की शक्ति देता है जिन्हें उसकी राय में सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि किसी आरक्षित श्रेणी में होने के कारण उम्र संबंधी छूट का लाभ उठाने वाले प्रत्याशी सामान्य श्रेणी के लिए विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं। उनके मामलों पर केवल आरक्षित श्रेणी के लिए ही विचार किया जा सकता है। शीर्ष कोर्ट ने यह फैसला हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाले नीरव कुमार दिलीपभाई मकवाना नाम के प्रत्याशी की याचिका पर आया है जिसमें गुजरात लोकसेवा आयोग की चयन प्रक्रिया को बरकरार रखा गया था। पीठ ने कहा, 'राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब लिखित परीक्षा में प्रयासों की संख्या की अनुमति, आयु सीमा, अनुभव, योग्यता आदि में एससी, एसटी और एसईबीसी श्रेणी के लिए किसी उम्मीदवार के चयन में कोई छूट संबंधी मानक लागू होता है तो इस तरह से चयनित इस श्रेणी के उम्मीदवार पर केवल आरक्षित सीट के लिए ही विचार किया जा सकता है। इस तरह के उम्मीदवार को अनारक्षित सीट पर विचार के लिए अनुपलब्ध माना जाएगा।'

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 साल

राहत ▶ प्रदेश में अभी 35 साल तय थी उम्र, जिसका किया जा रहा था विरोध

दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मिलेगा लाभ

नईदुनिया, भोपाल

कमलनाथ सरकार ने आखिरकार सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा नए सिरे से तय कर दी है। अब अन्य राज्यों सहित प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा एक समान 40 वर्ष रखी गई है। गत 11 जून को प्रदेश सरकार ने अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी थी। इससे अनारक्षित वर्ग के मध्य प्रदेश के निवासियों को पांच साल का नुकसान हो रहा था। अब मप्र के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नगर सैनिक, महिला और निगम, मंडल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को पांच साल की छूट दी जाएगी। यह निर्णय गुरुवार से प्रभावी हो गया।

सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट जबलपुर के निर्णय के मद्देनजर सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा को 28 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष की थी। यह फैसला मप्र सहित अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए लागू हुआ था, लेकिन इससे प्रदेश के अनारक्षित वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच साल का नुकसान हो रहा था। पहले प्रदेश के अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा सरकारी नौकरियों के लिए 40 साल थी। नए प्रावधानों से हो रहे नुकसान के चलते हो रहे विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सामान्य प्रशासन विभाग को पूरे मामले का परीक्षण करने के निर्देश दिए थे। विभाग ने मुख्यमंत्री को बताया कि वर्ष 2016 तक अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष ही थी। 12 मई 2017 को संशोधित कर अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष की गई। मप्र के मूल निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट दी गई थी। इसमें अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को पांच साल की अतिरिक्त छूट दी गई थी।

कमलनाथ फाइल फोटो

हाई कोर्ट के आदेश पर किया था आयु सीमा में बदलाव : उच्च शिक्षा विभाग के सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में इस प्रावधान को लेकर हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की गई। इस पर हाई कोर्ट ने सात मार्च 2018 आदेश दिया कि यह प्रावधान संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इसे निरस्त कर दिया। उच्च शिक्षा विभाग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन सुनवाई से पहले याचिका वापस ले ली गई। तत्कालीन शिवराज सरकार ने विधानसभा चुनाव के कारण इस पर कोई फैसला नहीं किया। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के चलते कमलनाथ सरकार भी इस पर फैसला नहीं ले सकी। आचार संहिता समाप्त होने के बाद नियुक्तियों पर पड़ रहे असर को देखते हुए विधि विभाग की सलाह पर अधिकतम आयुसीमा को 28 से बढ़ाकर 35 वर्ष करने का कैबिनेट में प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी मिल गई। इससे प्रदेश के अनारक्षित वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच साल का नुकसान हो रहा था। चौतरफा विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिए थे।

अब ये होंगे प्रावधान

- राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजपत्रित और कार्यपालिक पदों के लिए होने वाली भर्ती में न्यूनतम आयु सीमा 21 और अधिकतम 40 वर्ष रहेगी। वहीं, राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होगी।
- अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय, निगम, मंडल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, नगर सैनिक, नि:शक्तजन एवं महिलाओं (आरक्षित-अनारक्षित) के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट रहेगी, यानी 45 साल तक शासकीय सेवा में आने का मौका मिलेगा।

रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य : प्रदेश सरकार ने आयु सीमा बढ़ाने के साथ सभी के लिए रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। इससे अन्य राज्यों के वे अभ्यर्थी ही नियुक्ति के पात्र होंगे, जिनका रोजगार कार्यालय में पंजीयन होगा।

योगी सरकार से प्रियंका की ट्विटर पर छिड़ी जंग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

सोशल मीडिया अब राजनीति का बड़ा मंच बनता जा रहा है। कांग्रेस की तो 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी इसी पर नजर आ रही है। संगठन मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पूर्वी उप्र प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर ही मोर्चा खोल रखा है।

आम चुनाव में मिली हार के बाद से कांग्रेस पूरी तरह बिखरी-बिखरी नजर आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस्तीफा दे चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और सभी जिला कमेटियां भंग की जा चुकी हैं। लिहाजा, सड़क पर कहीं भी कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहीं प्रियंका गांधी वाड्रा अकेले ही सरकार से टक्कर ले रही हैं। इसके लिए उन्होंने ट्विटर को माध्यम बनाया है। अलीगढ़ में मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद से हर दूसरे-तीसरे दिन प्रदेश में घट रही बड़ी वारदात पर वह सरकार की घेराबंदी का प्रयास कर रही हैं। जन समस्याओं पर भी वह नजर जमाए हुए हैं।

खास बात यह है कि प्रियंका के ट्वीट को सरकार भी नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है। पिछले दिनों उन्होंने सूबे में बढ़ते अपराध पर टिप्पणी की तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध के आंकड़े पेशकर ट्विटर पर सफाई दी। इसी तरह बिजली संकट को लेकर प्रियंका के ट्वीट का भी जवाब बुधवार को ऊर्जा मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बयान जारी कर दिया।

प्रियंका गांधी वाड्रा फाइल फोटो

मुजफ्फरनगर की घटना पर ताजा ट्वीट : पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में दारोगा को गोली मारकर अपराधी को हिरासत से छुड़ाने के मामले पर प्रियंका ने ताजा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, 'उप्र सरकार के नेता प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध पर मेरे ट्वीट का कुछ भी झूठ-मूठ जवाब दे दें, मगर पुरानी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े-लिखे को फारसी क्या। उप्र में अपराधियों के कारनामे चरम पर हैं और जनता पूछ रही है कि ऐसा क्यों?'

धर्मेंद्र ने दी सनी देयोल को नसीहत-भगवंत मान से सीखो

सुमित मलिक, जालंधर

▶ कुछ ने की सराहना, तो कुछ ने जताई आपत्ति, बाद में धर्मेंद्र ने हटाया ट्वीट

गुरदासपुर से पहली बार सांसद बने सनी देयोल किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब उनके पिता व पूर्व भाजपा सांसद धर्मेंद्र ने सनी को आप सांसद भगवंत मान से सीखने की नसीहत दे दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सांसद मान भारत माता की सेवा कर रहे हैं और उन्हें उन पर बहुत मान है। उनके इस ट्वीट के बाद जहां लोग सनी के काम पर सवाल उठाने लगे, वहीं उन्होंने धर्मेंद्र की बतौर भाजपा नेता किसी विपक्ष के नेता की तारीफ करने को भी सराहा।

कुछ यूजर्स खुलकर सनी के हक में भी आए। एक ने तो धर्मेंद्र से भी पूछा कि आखिर भगवंत मान ने ऐसा क्या किया है जो सनी नहीं कर पाए? इस पर धर्मेंद्र ने जवाब दिया कि मान ने अपना करोड़ों का फिल्मी कॅरियर त्याग दिया है। इसी सराहना और आलोचना के बीच धर्मेंद्र ने दोनों ट्वीट हटा दिए। दरअसल, एक यूजर ने सनी देयोल की मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आते की एक फोटो ट्विटर पर शेयर कर उसमें सनी के डैशिंग (प्रभावशाली) लुक का जिक्र किया था। इसी तस्वीर का जवाब देते हुए धर्मेंद्र ने सनी को सलाह दी कि वे मान से कुछ सीखें। धर्मेंद्र ने ट्वीट किया, 'सनी, मेरे बेटे, कोशिश करो कि संगरूर के सांसद भगवंत सिंह मान जो कि मेरे बेटे जैसा है, उससे कुछ सीखो। भारत मां की सेवा करने के लिए क्या त्याग किया है.. जीते रहो...मान। बहुत-बहुत मान है मुझे आप पर...।'

सुबह करीब साढ़े छह बजे किए गए इस ट्वीट को दोपहर तक सैकड़ों लोगों ने शेयर किया और एक आप नेता के प्रति भाजपा के पूर्व सांसद की सोच को भी सराहा। आम आदमी पार्टी के वालंटियरों ने भी उनकी इस पोस्ट को खूब री-ट्वीट किया। साथ ही लिखा-चलो भाजपा में कोई तो है जो मान के कामों की तारीफ कर रहा है।

यूजर ने पूछा, 'क्या त्याग किया है मान ने?': इसी बीच एक यूजर ने ट्वीट कर पूछा, 'क्या त्याग किया है मान ने?' इस पर धर्मेंद्र ने भी तुरंत जवाब दिया 'अपना करोड़ों का पेशा, अपना फिल्मी कॅरियर'।

एक फाइल ने कमजोर की 17 जातियों के आरक्षण की जंग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

सिर्फ एक फाइल ने 17 जातियों की किस्मत को सियासी दांवपेच में उलझा दिया है। अति पिछड़ी से अनुसूचित श्रेणी में शामिल होने को बेताब इन जातियों के झंडाबरदार मानते हैं कि कांग्रेस शासनकाल में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 की फाइल साजिशन गायब कराई गई, क्योंकि वह होती तो मामला तुरंत निपट जाता।

उप्र की अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने को प्रयासरत दलित शोषित पिछड़ा वर्ग अधिकार दल के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव नीरज प्रजापति ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक और कुमारी शैलजा के खिलाफ नई दिल्ली के संसद मार्ग थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसके लिए वादी ने दलित शोषित वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतराम प्रजापति को सूचना के अधिकार के तहत मिले जवाब को आधार बनाया है। उसमें मंत्रालय द्वारा ही स्वीकार किया गया है कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 की फाइल मिल नहीं रही है।

इस मुद्दे पर 2003 से आंदोलनरत संतराम प्रजापति का कहना है कि उस फाइल में 1931 की रिपोर्ट लगी है, जिसमें सभी 66 जातियों और उपजातियों के पेशे व प्रदेश में स्थानवार मौजूदगी का उल्लेख है। उन्होंने बताया कि पहली बार इन सभी जातियों को 1935 में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। उसके बाद 1949 में वही रिपोर्ट भेजी गई, जिसके आधार पर संविधान सभा ने आदेश पारित किया और प्रस्तावना में इन जातियों के मानकों का उल्लेख करते हुए अनुसूचित जाति में शामिल किया। संविधान सभा द्वारा 10 अगस्त 1950 को जारी आदेश के बाद से सभी जातियों के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनने लगे।

राहुल की तरह इस्तीफा नहीं देंगे तेजस्वी : राजद

पार्टी ने खारिज की कांग्रेस की सलाह, कहा-हम नेता प्रतिपक्ष के साथ

राज्य ब्यूरो, पटना

'अज्ञातवास' से पांच हफ्ते बाद लौटे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए महागठबंधन के सहयोगी दलों की ओर से सुकून भरी खबर नहीं है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की तरह नैतिकता के आधार पर तेजस्वी को इस्तीफा देने की सलाह दी है। हालांकि राजद ने कांग्रेस की सलाह को मजबूती से खारिज कर दिया है। कांग्रेस की सलाह के बाद राजद पूरी मजबूती से तेजस्वी यादव के साथ खड़ा हो गया। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे नेता ने इस्तीफा दिया तो हम सभी विधायक भी सामूहिक इस्तीफा देंगे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राजद के खराब प्रदर्शन के बावजूद पार्टी तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करती है।

आखिरकार सदन पहुंचे तेजस्वी : विधानमंडल के मानसून सत्र में गुरुवार को शिरकत करने पहुंचे तेजस्वी को कांग्रेस के दो विधायक अजीत शर्मा एवं राजेश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष पद से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की अगर जीत होती तो अभी सब मिलकर जश्न मना रहे होते। इसी तरह पराजय के लिए भी सामूहिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तेजस्वी यादव को भी राहुल गांधी का अनुकरण करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे आम जनता में तेजस्वी का सम्मान बढ़ सकता है। कांग्रेस विधायक राजेश कुमार ने भी इशारों में तेजस्वी से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष की तरह गठबंधन के अन्य साथी दलों को भी साहसिक फैसला लेने पर विचार करना चाहिए। राजेश का इशारा तेजस्वी की तरफ था। कांग्रेस की मांग का भाजपा ने भी समर्थन किया है।

विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद बाहर निकलते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। जागरण

असमंजस

दिनभर चलती रही इंदौर विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी करने की अफवाह, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, संगठन महामंत्री रामलाल से भी की बात

आकाश पर कार्रवाई को लेकर नहीं हो सका फैसला

नईदुनिया, भोपाल

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर विधानसभा क्रमांक तीन से विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला दिल्ली और भोपाल के बीच झूल रहा है। सदस्यता अभियान की तैयारी के लिए भोपाल आए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह ने गुरुवार को सदस्यता अभियान की बैठकों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, संगठन महामंत्री रामलाल से फोन पर बातचीत की। इसके बाद उनकी कैलाश विजयवर्गीय से भी मोबाइल पर बात हुई। इस कवायद को भी आकाश के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है।

तीन दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में कहा था कि ऐसे अमर्यादित आचरण करने वाले को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, चाहे वह किसी का भी बेटा हो। गौरतलब है कि जर्जर मकान तोड़ने गए इंदौर नगर निगम के अफसर के साथ विधायक आकाश विजयवर्गीय ने क्रिकेट के बल्ले से मारपीट की थी। इसका वीडियो देशभर में वायरल हुआ और भाजपा को चारों तरफ से आलोचना झेलना पड़ी थी।

आकाश विजयवर्गीय फाइल फोटो

भाजपा कार्यालय में गुरुवार को दिनभर गहमा-गहमी रही। दरअसल, दोपहर 12 बजे के करीब प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह के प्रदेश कार्यालय में पहुंचने के साथ ही मीडिया ने उन्हें घेर लिया। आकाश पर कार्रवाई को लेकर कई सवाल हुए, लेकिन वह सिर्फ सदस्यता अभियान पर अपनी बात कहकर निकल गए। इसके बाद न्यूज चैनलों पर विधायक आकाश को नोटिस देने की खबरें चलने लगीं। भारी दबाव के बाद पौने चार बजे के करीब सिंह मीडिया के सामने आए और मात्र 20 सेकंड में सफाई दी कि अभी पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

> अभी हमारे द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पार्टी की कार्यपद्धति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। निर्णय से आपको अवगत कराया जाएगा।
>
> – राकेश सिंह, प्रदेशाध्यक्ष, मप्र भाजपा

कैलाश विजयवर्गीय के दबाव में लाचार हुआ संगठन : ओझा

कांग्रेस के मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने गुरुवार को जारी बयान में कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय के दबाव में केंद्र और राज्य संगठन आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ फैसला नहीं ले पा रहा है। दोनों ही स्तर पर संगठन लाचार है। आश्चर्य की बात यह भी है कि विधायक ने प्रधानमंत्री की इच्छा साफ होने के बाद भी अब तक त्यागपत्र नहीं दिया है।

बेटे की करतूत पर राणे ने मांगी माफी

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने अपने विधायक बेटे नितेश राणे की करतूत पर माफी मांगी है। नारायण राणे भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने कहा, 'अपने बेटे द्वारा सरकारी अधिकारी पर कीचड़ डालने की घटना के लिए मैं माफी मांगता हूं। विरोध (राजमार्ग की खराब हालत के खिलाफ) स्थानीय लोगों के लिए था।'

क्या था मामला : दरअसल, नीतेश राणे अपने विधानसभा क्षेत्र कांकावाली में शेडेकर के साथ मुंबई-गोवा हाईवे का मुआयना कर रहे थे। हाईवे पर काफी गड्ढे हैं जिसे भरा नहीं जा रहा था। लोग कीचड़ में सफर कर रहे थे। इसी बात से नाराज नितेश राणे और उनके समर्थकों ने इस घटना को अंजाम दिया। बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम के एक अधिकारी को बल्ले से पीटा था। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश के इस बर्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सख्त नाराजगी जताई थी। पीएम मोदी ने इस घटना पर कार्रवाई करने की ओर इशारा करते हुए मंगलवार को कहा था कि 'बेटा किसी का भी हो, ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा'।

छत्तीसगढ़ में अच्छे प्रदर्शन पर ही बचेगी मंत्रियों की कुर्सी

नईदुनिया, रायपुर

- पहले प्रदेश प्रभारी और अब मुख्यमंत्री ने भी काम में कसावट लाने का दिया निर्देश
- एक साल पूरा होने पर बनेगा रिपोर्ट कार्ड, हाईकमान को सौंपा जाएगा

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों की कुर्सी उनके अच्छे प्रदर्शन से ही बच सकेगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मंत्रियों को साफ कह दिया है कि वे अपने कामकाज और विभागों में कसावट लाएं। सरकार के एक साल पूरा होने पर मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, जो दिल्ली तक जाएगा।

पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की ताजपोशी और अमरजीत भगत के मंत्री बनने पर प्रदेश प्रभारी पुनिया आए थे, तभी उन्होंने साफ कह दिया था कि मंत्रियों को काम करके दिखाना है। एक साल में एक-एक मंत्री के काम की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद बुधवार रात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक ली, तो उन्होंने मंत्रियों से कहा कि सभी अपने विभागों में प्रशासनिक कसावट लाएं। जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ दूर करें। सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ हितग्राहियों को मिलना चाहिए। हर मंत्री को अपने विभाग के प्रशासनिक कामकाज की गंभीरता के साथ मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भी संकेत दिया है कि मंत्री की कुर्सी मिली है, तो काम करके दिखाना होगा। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों की मानें तो अभी सरकार को छह माह पूरा होने पर ही कुछ मंत्रियों को बदले जाने का विचार हुआ था, लेकिन उसके बाद यह तय हुआ कि छह माह का समय और दिया जाए।

सीएम के पास विकल्प की कमी नहीं : मुख्यमंत्री के पास मंत्री बनाने के लिए विकल्प की कमी नहीं है। 90 में से 68 विधायक कांग्रेस के हैं, जिसमें से लगभग आधे विधायक पुराने हैं। इसमें से पांच विधायक सत्यनारायण शर्मा, रामपुकार सिंह, धनेंद्र साहू, अमितेष शुक्ल और मनोज मंडावी को मंत्री पद का अनुभव है।